

## Central Coalfields Limited

A Mini Ratna Company  
(A Subsidiary of Coal India Limited)  
**Personnel / NEE Department**  
Darbhanga House, Ranchi – 834029  
CIN - U10200JH1956GOI000581  
Website - <http://centralcoalfields.in>



**Fuelling Sustainable Growth**

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनी रत्ना कंपनी  
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)  
**कार्मिक/कर्मचारी स्थापना विभाग**  
दरभंगा हाउस, रांची – 834029  
सी.आई.एन. - U10200JH1956GOI000581  
वेबसाइट - <http://centralcoalfields.in>

पत्रांक:- सीसीएल/एनईई/क्वालिटी कंट्रोल संवर्ग/टेक्निकल इंस्पेक्टर ग्रुप/2024-25/ 11473-80(H)  
दिनांक:- 5-जनवरी, 2025

### कार्यालय आदेश

केंद्रीयकृत क्वालिटी कंट्रोल संवर्ग के श्री नन्द किशोर चौधरी, पीआईएस संख्या-14585350, कर्णीय टेक्निकल इंस्पेक्टर टी एवं एस ग्रेड-डी जो वर्तमान में बोकारो एवं करगली क्षेत्र में पदस्थापित हैं को एतद्वारा सहायक टेक्निकल इंस्पेक्टर टी एवं एस ग्रेड-सी (एनसीडब्ल्यूए-XI वेतनमान रु. 47330.25 पर) के पद पर पदोन्नत किया जाता है (प्रोन्नति की आधार- अनुसूचित जाति)। श्री चौधरी अगले आदेश तक बोकारो एवं करगली क्षेत्र में पदस्थापित रहेंगे।

Sri Nand Kishor Choudhary (SC), PIS No. 14585350, Jr. Technical Inspector in T&S Grade-D of the Centralized Quality Control Cadre who is presently posted at Bokaro & Kargali Area is hereby promoted to the post of Asstt. Technical Inspector in T&S Grade-C (in the scale under NCWA-XI at Rs. 47330.25). Sri Choudhary will continue to be posted at Bokaro & Kargali Area till further orders.

श्री नन्द किशोर चौधरी की पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

The promotion of Sri Nand Kishor Choudhary will be effective from the date of his actual joining to the promoted post.

श्री चौधरी सी.सी.एल. के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

Sri Choudhary will be on probation for a period of 06 months as per the clause 3.6 of Certified Standing Orders of the company.

इनके इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी। वरीयता क्रम में ये श्री दीपक कुमार साव के नीचे एवं श्री शिवसेवक कुमार साव के उपर रहेंगे।

His inter-se-seniority will remain in the same order as shown in the approved panel irrespective of his actual date of joining on the promoted post. He will be placed in seniority below Sri Deepak Kumar Saw and above Sri Shivsewak Kumar Saw.

सी.सी.एल. एवं उसकी सहायक कम्पनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता मुनिश्चित करने हेतु पत्रांक:- सी.आई.एल./सी-5/जे.वी.सी.सी.आई./एस.सी./डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशों के तहत श्री चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। यदि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

In view of the CIL guideline on determination of seniority in case of Non -Executive Cadre employees of CIL and its subsidiaries circulated vide reference no. CIL/C-5B/JBCCI-X/SC/Determination of Seniority/33 dated 11-02-2021, Sri Choudhary is directed to report for his duty on promotion at the earliest and not later than 30 days

योगेश  
5/1/25




of issue of this order. If the concerned employee does not join within 30 days of the issuance of office order, the same shall stand cancelled.

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोड़ने रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जाय।

The concerned GM / HOD of the Department (Disciplinary Authority as per Certified Standing Order of the Company) is to ensure that the joining to the promoted post is accepted only if there is no departmental disciplinary case pending against the concerned employee, only after which this promotion would be effected. His joining report to the promoted post must be forwarded to this office immediately, for further necessary action at this end.

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(सौम्या सिंह)

उप प्रबन्धक (का-कर्म. स्था)

सीसीएल: राँची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक, सीसीएल, बोकारो एवं करगली क्षेत्र।
2. निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
3. महाप्रबंधक (कार्मिक-कर्मचारी स्थापना), सीसीएल, राँची।
4. अमला अधिकारी (कार्मिक), सीसीएल, बोकारो एवं करगली क्षेत्र।
5. क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, सीसीएल, बोकारो एवं करगली क्षेत्र।
6. श्रमशक्ति सहायक, कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल, राँची।
7. संबन्धित कर्मचारी (द्वारा- महाप्रबंधक-संबन्धित क्षेत्र)।
8. संबन्धित संचिका।